उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-3
संख्या-8/2015/ 544/एक-3-2015-4(16)/93-106
लखनऊ: दिनांक: 01 जून,2015

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सचिवालय के राजस्व सचिव शाखा में कार्यरत अनुसेवक श्रीमती राजपती अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 31-05-2015 को सेवानिवृत्त हो गयी हैं। सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 31-05-2015 को उनके अवकाश लेखे में कुल 300 दिनों का उपार्जित अवकाश देय है। वित्त विभाग के आदेश संख्या-सा-4-1327/दस-200/77, दिनांक 18 जून,1979 के साथ पठित शासनादेश संख्या-4-1283/दस-200/83, दिनांक 17-09-1988 तथा शासनादेश संख्या-सा-4-393/दस-99-200/88,दिनांक 01-07-1999 के अधीन श्रीमती राजपती, अनुसेवक को उक्त 300 दिनों के देय अवशेष उपार्जित अवकाश के बदले में नियमानुसार ग्राह्य अवकाश नकदीकरण वेतन के समतुल्य नकद धनराशि भुगतान किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- उक्त अवकाश नकदीकरण का भुगतान वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-62 लेखाशीर्षक-"2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्तक हित लाभ-आयोजनेत्तर-01-सिविल-115-छुट्टी नकदीकरण हित लाभ-03-सेवानिवृत्त के समय अवकाश का नकदीकरण-33-पेंशन/अनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ के नामें डाला जायेगा।

डा0 अशोक कुमार वर्मा
सचिव।

संख्या एवं दिनांक: उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- अनुभाग अधिकारी, राजस्व लेखा अनुभाग को एक अतिरिक्त प्रति सहित।
4- श्रीमती राजपती, सेवानिवृत्त अनुसेवक, राजस्व विभाग, उ0प्र0 सचिवालय।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनिराम सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।